कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email- districtcourtmahasamund@gmail.com

//विविध आदेश//

क्रमांक 09/एक-13-2/2006 **महासमुन्द, दिनांक 08/07/2026**

श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली के अनुरोध पत्र क्रमांक 196 सरायपाली दिनांक 17/06/2026 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उनके न्यायालय में लंबित विशेष दांडिक प्रकरण (NDPS Act) क्रमांक 18/2026 छ.ग. राज्य विरूद्ध संतोष पोर्ते थाना बसना के अपराध क्रमांक 110/2026 अंर्तगत धारा 21(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का प्रकरण विचाराधीन है । उक्त प्रकरण में जप्तशुदा Wincerex cough syrup Codine कुल 07 नग प्रत्येक 100 ML वाली जुमला मात्रा 700 ML, Nitrazepam Tablets IP 30 पत्ता जिसके प्रत्येक पत्ता में 10 नग टेबलेट कुल मात्रा 300 नग प्रत्येक टेबलेट 10 mg वाली कुल 3000 Mg, Pentazocine Lactate Injection कुल 69 नग प्रत्येक 01 ML वाली कुल मात्रा 69 ML है।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अधिसूचना क्रमांक S.O. 1055(E) दिनांक 19 अक्टूबर 2001 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में सारणी के स्तंभ 5 और 6 में उल्लेखित मात्रा को उस धारा को उक्त खंडो के प्रयोजनों के लिए क्रमश लघु मात्रा और वाणिज्यक मात्रा के रूप में विनिर्दिष्ट की गयी है, जिसमे उक्त प्रकरण में जप्तशुदा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ का सरल क्रमांक क्रमशः 28, 221 एवं 175 में अल्प मात्रा क्रमशः 10 ग्राम, 20 ग्राम एवं 20 ग्राम तथा उक्त पदार्थ के वाणिज्यिक मात्रा क्रमशः 100 ग्राम, 500 ग्राम एवं 500 ग्राम को वाणिज्यक मात्रा के रूप में विनिर्निष्ट किया गया है। जो कि अल्प मात्रा से भी कम है, जो कि उक्त अधिनियम के धारा 36 ए के अनुसार विचारण का क्षेत्राधिकार उक्त न्यायालय को नहीं है ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द के दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 13/10/2025 अनुसार थाना बसना के प्रकरणों का विचारण क्षेत्राधिकार श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना जिला महासमुन्द को आबंटित किया गया है।

अतः श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली के अनुरोध पत्र क्रमांक 196 सरायपाली दिनांक 17/06/2026 को दृष्टिगत रखते हुए विशेष दांडिक प्रकरण (NDPS Act) क्रमांक 18/2026 छ.ग. राज्य विरूद्ध संतोष पोर्ते, थाना बसना के अपराध क्रमांक 110/2026 अंर्तगत धारा 21(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से उद्भूत है, को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा -448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु **श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना जिला महासमुन्द** के न्यायालय में अंतरित किया जाता है ।

(श्रीमती अर्चिता डहरिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 2724/एक–13–2/2006 महासमुन्द, दिनांक 08/07/2026

प्रतिलिपि–

1. श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें एवं संबंधित पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता को संसूचित करना सुनिश्चित करें ।
2. श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सरायपाली
4. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग महासमुन्द

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/7/26

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email- districtcourtmahasamund@gmail.com

//विविध आदेश//

क्रमांक 10/एक-13-2/2006 **महासमुन्द, दिनांक 08/07/2026**

श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली के अनुरोध पत्र क्रमांक 201 सरायपाली दिनांक 18/06/2026 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उनके न्यायालय में लंबित विशेष दांडिक प्रकरण (NDPS Act) क्रमांक 04/2026 शासन विरूद्ध वतन डडसेना वगैरह, थाना बसना के अपराध क्रमांक 471/2025 अंर्तगत धारा 21(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का प्रकरण विचाराधीन है । उक्त प्रकरण में जप्तशुदा NITRAZEPAM TABLETS IP, 20 पत्ता प्रत्येक पत्ता में 10 टेबलेट कुल जुमला 200 नग टेबलेट कुल वजनी 2000 मिलीग्राम या 02 ग्राम है ।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अधिसूचना क्रमांक S.O. 1055(E) दिनांक 19 अक्टूबर 2001 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में सारणी के स्तंभ 5 और 6 में उल्लेखित मात्रा को उस धारा को उक्त खंडो के प्रयोजनों के लिए क्रमश लघु मात्रा और वाणिज्यक मात्रा के रूप में विनिर्दिष्ट की गयी है, जिसमे उक्त प्रकरण में जप्तशुदा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ का सरल क्रमांक 221 में अल्प मात्रा 20 ग्राम तथा 500 ग्राम को वाणिज्यक मात्रा के रूप में विनिर्निष्ट किया गया है। जो कि अल्प मात्रा से भी कम है, जो कि उक्त अधिनियम के धारा 36 ए के अनुसार विचारण का क्षेत्राधिकार उक्त न्यायालय को नहीं है ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द के दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 13/10/2025 अनुसार थाना बसना के प्रकरणों का विचारण क्षेत्राधिकार श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना जिला महासमुन्द को आबंटित किया गया है।

अतः श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली के अनुरोध पत्र क्रमांक 201 सरायपाली दिनांक 18/06/2026 को दृष्टिगत रखते हुए विशेष दांडिक प्रकरण (NDPS Act) क्रमांक 04/2026 शासन विरूद्ध वतन डडसेना वगैरह थाना बसना के अपराध क्रमांक 471/2025 अंर्तगत धारा 21(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा -448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु **श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना जिला महासमुन्द** के न्यायालय में अंतरित किया जाता है ।

(श्रीमती अनिता डहरिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 2725 /एक–13–2/2006 महासमुन्द, दिनांक 08/07/2026

प्रतिलिपि–

1. श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें एवं संबंधित पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता को संसूचित करना सुनिश्चित करें।
2. श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सरायपाली
4. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग महासमुन्द

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email- districtcourtmahasamund@gmail.com

//विविध आदेश//

क्रमांक 11/एक-13-2/2006 **महासमुन्द, दिनांक 08/07/2026**

श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली के अनुरोध पत्र क्रमांक 203 सरायपाली दिनांक 18/06/2026 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उनके न्यायालय में लंबित विशेष दांडिक प्रकरण (NDPS Act) क्रमांक 44/2025 शासन विरूद्ध सुशांत कुमार चौहान, थाना बसना के अपराध क्रमांक 336/2025 अंर्तगत धारा 21(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का प्रकरण विचाराधीन है । उक्त प्रकरण में जप्तशुदा NITROSUM 10mg कंपनी का जिसका फार्मुला NITRAZEPAM TABLETS IP, 10 पत्ता प्रत्येक पत्ता में 10 टेबलेट कुल जुमला 100 नग जिसकी कुल मात्रा 1000 mg या 02 ग्राम है ।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अधिसूचना क्रमांक S.O. 1055(E) दिनांक 19 अक्टूबर 2001 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में सारणी के स्तंभ 5 और 6 में उल्लेखित मात्रा को उस धारा को उक्त खंडो के प्रयोजनों के लिए क्रमश लघु मात्रा और वाणिज्यक मात्रा के रूप में विनिर्दिष्ट की गयी है, जिसमे उक्त प्रकरण में जप्तशुदा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ का सरल क्रमांक 221 में अल्प मात्रा 20 ग्राम तथा 500 ग्राम को वाणिज्यक मात्रा के रूप में विनिर्निष्ट किया गया है। जो कि अल्प मात्रा से भी कम है, जो कि उक्त अधिनियम के धारा 36 ए के अनुसार विचारण का क्षेत्राधिकार उक्त न्यायालय को नहीं है ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द के दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 13/10/2025 अनुसार थाना बसना के प्रकरणों का विचारण क्षेत्राधिकार श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना जिला महासमुन्द को आबंटित किया गया है।

अतः श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली के अनुरोध पत्र क्रमांक 203 सरायपाली दिनांक 18/06/2026 को दृष्टिगत रखते हुए विशेष दांडिक प्रकरण (NDPS Act) क्रमांक 44/2025 शासन विरूद्ध सुशांत कुमार चौहान, थाना बसना के अपराध क्रमांक 336/2025 अंर्तगत धारा 21(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा -448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु **श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना जिला महासमुन्द** के न्यायालय में अंतरित किया जाता है ।

(श्रीमती अर्निता डहरिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 2726 /एक–13–2/2006 महासमुन्द, दिनांक 08/07/2026

प्रतिलिपि–

1. श्री पंकज आलोक तिर्की, विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें एवं संबंधित पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता को संसूचित करना सुनिश्चित करें ।
2. श्री मंजीत जांगडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सरायपाली
4. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग महासमुन्द

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08/7/26

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)